प्रेस नोट दिनांक- 02.12.2024 जनपद प्रतापगढ़

माह नवम्बर में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कृत सराहनीय कार्य

अपराध नियंत्रण / कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यवाही जारी-

22 गैंगस्टर के विरूद्ध विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 08 अभियोग पंजीकृत

थाना कोतवाली नगर से 01, थाना मानिकपुर से 01, थाना लालगंज से 02, थाना उदयपुर से 01, थाना कोतवाली देहात से 01 व थाना फतनपुर से 01 गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किये गये

20 चोरी की आपराधिक घटनाओं का सफल अनावरण/04 गिरफ्तार

ओला चालक की हत्या का सफल अनावरण व 03 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी/ बरामदगी

पुरस्कार घोषित कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार,

50 हजार रूपये के 03 इनामिया तथा 25 हजार रूपये के 02 इनामिया गिरफ्तार

गैंग नम्बर डी-157/24 दिनांक 21.11.2024 को थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में गैंग लीडर विपिन मिश्र व गैंग सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने हेतु किया गया सूचीबद्ध

पेशवर अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु माह अक्टूबर में खोली गई कुल 07 एचएस (हिस्ट्रीशीट)

थाना कोतवाली नगर में 01, थाना अन्तू में 02, थाना कोहंडौर में 01, थाना मान्धाता में 02 तथा थाना बाघराय में 01 हिस्ट्रीशीट इस प्रकार कुल 07 हिस्ट्रीशीट (एचएस) खोला गया

04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गुण्डा एक्ट की कार्यवाही

आपरेशन कन्विक्शन के तहत मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनाई गई

यूपी-112 प्रतापगढ़ पीआरवी वाहनों का कम हुआ औसत रिस्पांस टाइम

माह जुलाई- 10.55 मिनट, माह अगस्त- 08.52 मिनट, माह सितम्बर- 08.10 , माह अक्टूबर- 08.05 मिनट, माह नवम्बर-07.32 मिनट रहा औसत रिस्पांस टाइम

आपराधिक कृत्यों के आधार पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री संजीव रंजन की कठोर कार्यवाही से किया गया कुल 16 शस्त्रों का निरस्तीकरण

-कोतवाली देहात से 03, कोहंडौर से 01, अन्तू से 02, फतनपुर से 03, हथिगवां से 01, कुण्डा से 02, लीलापुर से 01, लालगंज से 02, संग्रामगढ़ से 01

प्रतापगढ़ ।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस

अधीक्षक(पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही जारी है।

22 गैंगस्टर के विरूद्ध विभिन्न थानों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 08 अभियोग पंजीकृत

थाना कोतवाली नगर से 01, थाना मानिकपुर से 01, थाना लालगंज से 02, थाना उदयपुर से 01, थाना कोतवाली देहात से 01 व थाना फतनपुर से 01 गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी में बीट पुलिस कर्मियों (मुख्य आरक्षी/आरक्षी) की अहम भूमिका रही है। अदम्य साहसपूर्ण एवं उत्कृष्ठ कार्य करने वाले बहादुर बीट आरक्षियों को एसपी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्द्धन किया गया।

पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी-

-50000/- रूपये से पुरस्कार घोषित 03 इनामिया गिरफ्तार

1- रवि सिंह उर्फ रामसमुझ पुत्र महेश सिंह निवासी ग्राम जमालापुर थाना रामपुर जनपद जौनपुर (गिरफ्तारी दिनांक-02.11.2024, एसटीएफ प्रयागराज व थाना)

2- आजम पुत्र निजाम निवासी ग्राम फसियालगढ़ थाना जेठवारा जनपद प्रतागपढ़, (गिरफ्तारी दिनांक-24.11.2024)

3- शकील उर्फ वसीम पुत्र इद्ररीश निवासी ग्राम असाव थाना साँगीपुर जनपद प्रतापगढ़ (गिरफ्तारी दिनांक-28.11.2024)

25 हजार रूपये से पुरस्कार घोषित 02 इनामिया गिरफ्तार

(1)-25000/- रूपये के पुरस्कार घोषित गैगेस्टर राजकुमार पुत्र दशाराम निवासी टीना चितरी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 14.11.2024 को गिरफ्तार किया गया।

(2)-25000/- रूपये के पुरस्कार घोषित 01 अभियुक्त रियाज पुत्र मुन्ने उर्फ निजाम उर्फ नियाज निवासी पूरे बेनीराम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ द्वारा पुलिस की कार्यवाही के फलस्वरूप दिनांक 28.11.2024 को आत्मसमर्पण किया गया।

01 गैंग सूचीबद्ध किया गया-

गैंग नम्बर डी-157/24, गैंग प्रकार- पेट्रोल पंप की टंकी से वाहनों में नकली व मिलावटी अधोमानक पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई करने पर दिनांक 21.11.2024 को थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में गैंग लीडर विपिन मिश्र पुत्र गिरिवरधर मिश्रा निवासी ग्राम शेखपुर अठगवां थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ व इस गैंग के सदस्यों राजकुमार जायसवाल पुत्र फूलचन्द्र जायसवाल निवासी 206 सीओडी रोड संजय नगर थाना नैनी कमिश्नरेट जनपद प्रयागराज, अंकित शर्मा पुत्र शम्भू शर्मा निवासी गुडरूरामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ तथा बरमदीन कुशवाहा पुत्र किलोधर कुशवाहा निवासी मुंगारी थाना औद्योगित क्षेत्र नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज की आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने हेतु सूचीबद्ध किया गया।

आपराधिक कृत्यों के आधार पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री संजीव रंजन की कठोर कार्यवाही से किया गया कुल 16 शस्त्रों का निरस्तीकरण

कोतवाली देहात से 03, कोहंडौर से 01, अन्तू से 02, फतनपुर से 03, हथिगवां से 01, कुण्डा से 02, लीलापुर से 01, लालगंज से 02, संग्रामगढ़ से 01

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर पंजीकृत अभियोग की समीक्षा कर उनके पास मौजूद लाइसेंसी शस्त्र के निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित रिपोर्ट पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री संजीव रंजन द्वारा कठोर कार्यवाही कर कुल 16 शस्त्रों का निरस्तीकरण किया गया।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध पर प्रभावी रोकथाम एवं पेशेवर अपराधियों की सतर्क निगरानी हेतु खोली गई 07 हिस्ट्रीशीट –

जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है एवं पेशेवर/अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही जारी है।

माह नवम्बर में जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों की सतर्क निगरानी/ सत्यापन हेतु माह अक्टूबर में प्रतापगढ पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में कुल 07 हिस्ट्रीशीट (एचएस) खोली गई।

थाना कोतवाली नगर में 01, थाना अन्तू में 02, थाना कोहंडौर में 01, थाना मान्धाता में 02 तथा थाना बाघराय में 01 हिस्ट्रीशीट इस प्रकार कुल 07 हिस्ट्रीशीट (एचएस) खोला गया।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा शासन के मंशा के अनुरूप चिन्हित अपराधों में त्वरित सजा सुनिश्चित कराने हेतु चलाये गये आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 प्रकरणों में कुल 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। 01 प्रकरण में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई।

हत्या की घटना का सफल अनावरण-

जनपद लखनऊ से आरोपियों द्वारा ओला कार बुक कर थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ओला कार चालक की हत्या कर दी गई थी। जिसमें दिनांक 01.11.2024 को प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाने वाली हाईवे पर मृतक का शव सड़क से दाहिने तरफ झाडियों के बीच मिला था। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के नेतृत्व में दिनांक 15.11.2024 को घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए स्वॉट व थाना पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक/ मैनूअल साक्ष्यों के आधार पर थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0- 351/4 धारा 103(1)/238/311 बीएनएस सें संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त 1. मो0 साहिल सुत मो० शमीम उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी सरह सुभागा फरीदीपुर थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर 2. जांबाज सुत इजराइल निवासी ग्राम भरतीपुर थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर उम्र 21 वर्ष 3. मोहर्रम सुत मो0 सफीक निवासी बाबागंज थाना गोसांईगंज जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 19 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भुपियामऊ ओवर ब्रिज के पास से अभियुक्तों के कब्जे से लूट की स्विफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया।

20 चोरी की आपराधिक घटनाओं का सफल अनावरण व 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई में दिनांक 15.11.2024 को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो चोरी के कई मामलों में वांछित थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 किलो चांदी के आभूषण, 27 ग्राम सोने के गहने, ₹61,100 नकद और दो अवैध तमंचे (315 बोर और 12 बोर) बरामद किए गए। टीम ने मौके पर दो मोटरसाइकिल भी सीज कीं, जिन पर सवार होकर आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे। अभियुक्तों द्वारा संगठित रूप से गिरोह बनाकर कई क्षेत्रों में रैकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था।

04 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही

छेड़खानी, मारपीट अपराधों में संलिप्त 04 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अन्तू से 02, थाना आसपुर देवसरा से 01 व थाना नवाबगंज से 01 गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

बयान – जनपद में कानून-व्यवस्था को कायम रखने एवं अपराध नियंत्रण हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंश नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी है। जनपदवासियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने हेतु प्रतापगढ़ पुलिस संकल्पित एवं समर्पित है । नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान/शान्ति व्यवस्था हेतु सभी अधिकारी/थाना प्रभारियों व पुलिस कर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये है।

डॉ0 अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दहेज हत्या करने के प्रकरण से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के थरिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक- 04.05.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 159/2024 धारा 323, 506, 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री आदित्य सिंह नेतृत्व में उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह आरक्षी राजू गौड द्वारा अभियुक्त 01. बजरंग बहादुर उर्फ बजरंगी पुत्र श्रीनाथ निवासी ग्राम बोर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 02.12.2024 को थानाक्षेत्र रानीगंज के थरिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त बजरंग बहादुर उर्फ बजरंगी को मु0अ0सं0 159/2024 धारा 323, 506, 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. बजरंग बहादुर उर्फ बजरंगी पुत्र श्रीनाथ निवासी ग्राम बोर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह आरक्षी राजू गौड़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना व डीपी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना देल्हूपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के देल्हूपुर बाजार से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक- 20.10.2024 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर में अन्तर्गत धारा- 69 बी0एन0एस0 व 3/ 4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री धनंजय राय नेतृत्व में उ0नि0 धीरेन्द्र सिंह मय हमराह का0 सर्वेश पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/ वारण्टी व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा- 69 बी0एन0एस0 व 3/ 4 डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अतीक उर्फ शेखू पुत्र इसराइल निवासी ग्राम गुडरी थाना पीपरपुर जनपद अमेठी को दिनांक 02.12.2024 को थानाक्षेत्र के देल्हूपुर बाजार से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त अतीक उर्फ शेखू को अन्तर्गत धारा- 69 बी0एन0एस0 व 3/ 4 डीपी एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अतीक उर्फ शेखू पुत्र इसराइल निवासी ग्राम गुडरी थाना पीपरपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 धीरेन्द्र सिंह मय हमराह का0 सर्वेश पाण्डेय थाना थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

हत्या, मारपीट, धमकी व एससी एसटी एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत करका में राम अकबाल के भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया है

दिनांक 28.11.2024 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नईकोट में मारपीट हुई थी। जिसमें इलाज के दौरान हुई 01 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.11.2024 को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नईकोट में मारपीट हुई थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0- 252/2024 धारा- 115(2), 352, 351(3), 118(1), बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध एससी एसटी एक्ट बनाम 02 नामजद व 01 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। जिसमे इलाज के दौरान हुई 01 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जिसके क्रम में धारा 103(1), बीएनएस व 3(2)V एससी एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिए गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 02.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक फतनपुर श्री राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 शेषनाथ यादव मय हमराह हे0का0 पंकज कुमार, का0 रणजीत सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी / विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 252/2024 धारा- 115(2), 352, 351(3), 118(1), 103(1) बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी एसटी एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त गणेश बिन्द पुत्र पन्नालाल बिन्द निवासी ग्राम बिन्द बस्ती, करका न0पं0 सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करका में राम अकबाल के भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे चाचा शंकर बिन्द पूरेखरगराय के पंडित जी की एक गाय लिये थे। उसी गाय को मै और चाचा दिनांक 28.11.2024 को उनके घर वापस पहुंचाने जा रहे थे तो रास्ते में ग्राम नईकोट के रमाशंकर सरोज पुत्र भोलानाथ सरोज से कहासुनी व मारपीट हो गयी थी। मारपीट में रमाशंकर के सिर में चोट लग गयी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. गणेश बिन्द पुत्र पन्नालाल बिन्द निवासी ग्राम बिन्द बस्ती, करका न0पं0 सुवंसा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 शेषनाथ यादव मय हमराह हे0का0 पंकज कुमार, का0 रणजीत सिंह थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।